न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 11/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/29
सूर्यकान्त शर्मा पुत्र भंवरलाल शर्मा, पता गली नं. 21, थानेदार जी का चौका, रामपुरा बस्ती, लालगढ़, बीकानेर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़
अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आपीलार्थी को 30 दिवस में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई हैं। अपीलार्थी को वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति निःशुल्क दिलाए जाने हेतु निवेदन किया।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर से जवाब तलब किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक/एसपीआईओ/आरटीआई/2024/39 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति घड़साना से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र कार्यालय के पत्र दिनांक 19.01.2024 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति घड़साना को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित करते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी थी।
3. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उन्हें आवेदन पत्र हस्तांतरण होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। वांछित सूचनाएं निःशुल्क दिलाए जाने के लिए निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चक 9 पीएसडी रावला की सन् 1980 से 1990 तक की आवासीय पट्टों जो उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा उक्त रिकार्ड वर्तमान में कहां हैं की सूचना उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी थी। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति को हस्तांतरित कर दिया गया जो कि उचित नहीं हैं। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वे अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर निर्णय करते हुए सूचना के उनके कार्यालय में उपलब्ध होने अथवा नहीं होने की सूचना अपीलार्थी/आवेदक को उपलब्ध करवाते अथवा यदि उक्त सूचना अन्य लोक प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होना उनके ज्ञान में हैं तो वे धारा 6(3) के तहत आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करते। परन्तु आवेदक द्वारा वांछित उपनिवेशन संबंधित सूचना हेतु आवेदन विकास अधिकारी, पंचायत समिति को हस्तांतरित किया जाना उचित नहीं हैं। अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं। लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि वे इस निर्णय की प्रति [illegible] अपीलार्थी के आवेदन पर पत्र विधिवत विनिश्चय पारित करते हुए आवेदक [illegible] को सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ [illegible]

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.03.2024 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:50:14 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)